नशा माफिया पर पुलिस व विद्युत विभाग का पावर कट: 12 बड़े तस्करों के काटे कनेक्शन, 4 लाख का जुर्माना

अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अपराधियों को अब अंधेरे में बितानी होगी रातें

जयपुर 24 मई। बारां जिले में अवैध मादक पदार्थों के तस्करों और नशे के सौदागरों के खिलाफ जिला पुलिस ने एक बेहद अनूठा और कड़ा रुख अख्तियार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पुलिस और विद्युत विभाग ने संयुक्त रूप से लंबे समय से एनडीपीएस पदार्थों की तस्करी में लिप्त छबड़ा वृत्त के 12 शातिर तस्करों को चिन्हित कर उनके घरों व दुकानों के बिजली कनेक्शन पूरी तरह काट दिए गए हैं। इसके साथ ही बिजली चोरी और नियमों की अवहेलना करने पर विद्युत विभाग ने इन तस्करों पर करीब 04 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस अधीक्षक अंदासु ने बताया कि वृत्त छबड़ा के थानाधिकारियों द्वारा चिन्हित किए गए तस्करों के घरों के संबंध में खुफिया इनपुट मिला था कि ये अपराधी अपने परिसरों में विद्युत नियमों की सरेआम अवहेलना कर रहे हैं। इस सूचना को तत्काल विद्युत विभाग के साथ साझा किया गया। इसके बाद विद्युत विभाग छबड़ा व छीपाबड़ौद की तकनीकी टीम और पुलिस वृत्त छबड़ा के चार थानों छबड़ा, छीपाबड़ौद, हरनावदाशाहजी व सारथल की संयुक्त टीमों ने तस्करों के ठिकानों पर एक साथ आकस्मिक निरीक्षण किया। मौके पर जांच करने पर पाया गया कि ये सभी मादक पदार्थ तस्कर अवैध रूप से बिजली की चोरी कर रहे थे, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके कनेक्शन काट दिए गए। संयुक्त टीमों द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई के तहत थाना छबड़ा क्षेत्र के तस्कर बलवीर उर्फ बल्लू सांसी निवासी गणपति नगर, राजाराम मीणा, अशोक मीणा, रामगोपाल मीणा और कल्लू उर्फ छोटूलाल मीणा निवासी गोविन्दपुरा के अवैध कनेक्शन काटे गए। इसी प्रकार थाना हरनावदाशाहजी क्षेत्र के तस्कर जगन्नाथ मीणा और उसके पुत्र दिनेश मीणा निवासी प्रेमपुरिया तथा थाना छीपाबड़ौद क्षेत्र के तस्कर घनश्याम मीणा निवासी हान्डीखोह हाल बसंत विहार), अनीता मीणा निवासी देवली अरब रोड, कोटा, किशोर कुमार मीणा और गुलाबचंद निवासी हान्डीखोह के घरों पर कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त थाना सारथल क्षेत्र के तस्कर बीरम लोधा और राहुल लोधा निवासी डोकरीखोह की हरनावदाशाहजी स्थित दुकानों व मकानों पर कार्रवाई कर विद्युत विभाग द्वारा नियमानुसार वीसीआर भरी गई। इस उल्लेखनीय कार्रवाई के माध्यम से पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने मादक पदार्थ तस्करों और उनके सिंडिकेट को एक बेहद कड़ा व स्पष्ट संदेश दिया है।

जयपुर में एक्स एम्पलाई ने करवाई थी ऑनर से लूट

दिवाली बोनस के रुपए काटने से था नाराज, फिल्मी स्टाइल में छीन ले गए थे बैग

जयपुर, 24 मई (का.सं.)। जयपुर पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में कार सवार बदमाशों के बिजनेसमैन से लूट मामले का रविवार को खुलासा किया है। पुलिस ने लूट में एक्स एम्पलाई सहित चार बदमाशों को पकड़ा है। दिवाली बोनस के रुपए काटने की बात से नाराज होकर एक्स एम्पलाई ने लूट की प्लानिंग रची थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट का माल बरामद किया है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज वर्मा ने बताया- लूट में मास्टरमाइंड विकास बैरवा (19) निवासी सांभरिया, शिवदासपुरा, सुरेश पांचाल (27) और सुनील सैनी (19) निवासी सांभरिया, शिवदासपुरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल एक नाबालिग साथी को भी पकड़ा है।

विकास बैरवा लूट का मास्टरमाइंड

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी विकास बैरवा लूट का मास्टरमाइंड है। वह बिजनेसमैन की दुकान पर लेबर का काम करता था। कुछ महीनों पहले ही उसने जॉब छोड़ दी थी। उसे बिजनेसमैन की डेली वर्किंग व आने-जाने की पूरी जानकारी थी। विकास बैरवा ने जब काम करना छोड़ा था तो दिवाली बोनस के दिए हुए 2100 रुपए बिजनेसमैन ने उसके हिसाब से कम कर दिए। इस बात से विकास बैरवा नाखुश हो गया। उसके बाद उसने लूट की प्लानिंग बनाकर दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया लैपटॉप व 1.62 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। 28 अप्रैल को सांगानेर निवासी मुकेश कुमार ने सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वह चतराला सर्किल पर रिद्धी-सिद्धी लाइट एंड सैनेटरी के नाम से फर्म चलाते हैं। रात करीब 8 बजे शॉप क्लोज कर अपने घर जाने के लिए निकले थे।

सियासी गलियारों में हलचल आपातकाल के दौरान बंद लोगों में से लगभग 80 प्रतिशत संघ से थे रामलाल का दावा

मुंबई,वेब वार्ता । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने शनिवार को दावा किया कि यदि आरएसएस कार्यकर्ताओं ने आपातकाल के विरुद्ध सत्याग्रह में बड़ी संख्या में भाग नहीं लिया होता तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1977 में आम चुनाव नहीं कराए होते। वह आरएसएस के कोंकण डिवीजन की बैठक के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने दावा किया कि आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों में से लगभग 80 प्रतिशत आरएसएस कार्यकर्ता थे। उन्होंने स्वयं उस दौरान आठ महीने जेल में बिताए थे। संगठन के योगदान के बारे में बात करते हुए रामलाल ने कहा कि भारत ने जितने भी युद्ध लड़े, उनमें आरएसएस के स्वयंसेवक भारतीय सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि हवाई मार्ग से गिराई गई सैन्य सामग्री एक खतरनाक क्षेत्र में गिरी थी। जवानों पर दुश्मन का ध्यान जा सकता था। किसी ने उन्हें बताया कि पास में ही एक गांव है, जहां आरएसएस के स्वयंसेवक हर शाम एकत्र होते हैं। स्वयंसेवक रेंगते हुए उस जगह तक पहुंचे जहां सामग्री गिरी थी और उसे वापस ले आए। उनके नाम कभी सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन इस कार्रवाई में चार लोगों की जान चली गई। उन्होंने बताया कि आरएसएस कार्यकर्ताओं ने संकट के समय नागरिक प्रशासन की भी सहायता की, जिसमें 1965 के युद्ध के दौरान दिल्ली में यातायात व्यवस्था संभालना भी शामिल है। कहा कि आरएसएस अपनी दैनिक शाखाओं के माध्यम से अनुशासन, समन्वय और सामूहिक कार्यप्रणाली पर जोर देता है।

आरएसएस में सबके साथ मिलकर काम करना और मेलजोल रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए तन, मन और बुद्धि के समन्वय की आवश्यकता होती है। हिंदुत्व विचारधारा का समर्थन करने वाले हमेशा सभी के कल्याण के बारे में सोचते हैं। दुर्भाग्य से आज जो भी भारत के खिलाफ है उसे उदार और प्रगतिशील कहा जाता है। जबकि हिंदुत्व की बात करने वालों को सांप्रदायिक या संकीर्ण सोच वाला करार दिया जाता है।

बिना नम्बर व काली फिल्म लगे 238 वाहनों पर कार्रवाई, चार्ज लेते ही एक्शन में पुलिस

चित्तौड़गढ़, ,वेब वार्ता । पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शनिवार शाम को जिले भर में बिना नम्बर प्लेट एवं काली फिल्म लगे वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा बिना नम्बर के 141 दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों तथा काली फिल्म लगे 97 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

गौरतलब है कि शनिवार दोपहर में ही जिले के नए एसपी धर्मेंद्रसिंह यादव ने चार्ज लिया था और उसके बाद शाम को ही जिले भर में पुलिस एक्शन में आ गई।

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार शाम जिले के समस्त थानाधिकारियों को बिना नम्बर प्लेट वाले वाहनों एवं काली फिल्म लगे वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चला कर सख्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था। निर्देशों की पालना में जिले भर में विशेष नाकाबंदी एवं चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों की और से संदिग्ध एवं नियम विरुद्ध संचालित वाहनों की गहन जांच की गई। कार्यवाही के तहत बिना नम्बर प्लेट के संचालित 141 दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। वहीं वाहनों पर अवैध रूप से काली फिल्म लगाए पाए जाने पर 97 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बिना नम्बर एवं काली फिल्म लगे वाहनों का उपयोग कई बार आपराधिक गतिविधियों में किया जाता है, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना रहती है। आमजन की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी। साथ ही पुलिस अधीक्षक की और से समस्त वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि बिना नम्बर प्लेट एवं काली फिल्म लगे वाहनों का उपयोग नहीं करें। नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।जिला पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों की पालना करने एवं सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

नोएडा में 1500 किमी सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त काम हुआ शुरू; पश्चिम एशिया तनाव को लेकर अटक गया था कार्य

नोएडा,वेब वार्ता । अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव का असर नोएडा के विकास कार्य पर पड़ा है, इससे प्राधिकरण में शहर की 1500 किलोमीटर की सड़कों की रिसरफेसिंग का काम अटक गया था, लेकिन सरकार के प्राइज एक्सीलेशन के फैसले के बाद अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है, क्योंकि जारी 265 टेंडर पर अब धीरे-धीरे काम शुरू हो चुका है। ऐसे में वर्क सर्किल छह के एरिया में एमपी थ्री रोड पर सबसे पहले उन सड़कों पर निर्माण शुरू कराया गया है, जहां पर अधिक गड्ढे हो गए थे। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, सरकार ने निर्णय लिया है कि एक अप्रैल से पहले जितने भी सड़क निर्माण व रिसरफेसिंग के टेंडर आवंटित हुए है, उनके प्राइज एक्सीलेशन पर सरकार की ओर से मदद की जाएगी। इसके बाद पर निर्णय अलग से लिया जाएगा। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने सरकार के आश्वासन के बाद ठेकेदारों से काम शुरू कराने को कह दिया है, जिसकी शुरूआत शनिवार को हो चुकी है।

ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी: बता दें कि पिछले दिनों प्राधिकरण सीईओ कृष्णा करुणेश से दोनों महाप्रबंधक से कहा था कि वह जारी टेंडर के आधार पर काम आवंटित कराने वाले ठेकेदार अपना काम शुरू कराए। अन्यथा एक सप्ताह बाद सड़कों पर निरीक्षण कार्य शुरू होगा और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्राधिकरण सीईओ के आदेश का असर भी अब दिखाई देने लगा है। ठेकेदार कंपनियों ने महंगा बिटुमिन लाकर सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कराया है। ऐसे में अब शहरवासियों को उम्मीद जागी है कि गड्ढों, टूटी सड़कों से निजात के लिए उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

वर्क सर्किल छह वरिष्ठ प्रबंधक सतेंद्र गिरी ने बताया कि एमपी थ्री मार्ग पर सड़क की रिसरफेसिंग का कार्य करना शुरू कर दिया गया है। अभी उन सड़कों पहले लिया गया है, जिनकी हालत अधिक खस्ताहाल है। जल्द ही अन्य जगहों पर काम शुरू कराया जाएगा।

नवभारत निवास ने नोएडा में राजस्थान परियोजनाओं के लिए ग्राहक आवंटन समारोह आयोजित किया

GRAND ALLOTMENT CEREMONY
Jim & Holmes

NAVBHARAT NIWAS
YOUR TRUST, OUR COMMITMENT
KRISHNA KUNJ
VEER ENCLAVE
JIM & HOLMES
MUSSOORIE ELITE

नोएडा, 24 मई (का.सं.)। नवभारत निवास ने 22 मई को नोएडा स्थित फॉर्च्यून होटल बाय आईटीसी में अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष आवंटन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान स्थित कंपनी की प्लॉटेड टाउनशिप परियोजनाओं – नवभारत शिवानी वाटिका 11**th** और नवभारत शिवानी रेजीडेंसी – से जुड़े होमबायर्स और निवेशकों ने भाग लिया।

दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 150 ग्राहकों ने आवंटन प्रक्रिया में हिस्सा लिया तथा कंपनी के संस्थापकों और प्रबंधन टीम से संवाद किया। यह कार्यक्रम राजस्थान, विशेष रूप से जयपुर और उसके औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित रियल एस्टेट लोकेशनों में बढ़ती निवेशक रुचि को दर्शाता है। कंपनी ने इस समारोह को व्यक्तिगत अनुभव देने के उद्देश्य से अपने संस्थापकों और प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की, जिससे यह संदेश गया कि ग्राहक ही कंपनी की सफलता का केंद्र हैं। कार्यक्रम के दौरान ग्राहकों को आवंटन प्रक्रिया पूरी कराने के साथ-साथ परियोजनाओं की विकास स्थिति, क्षेत्र में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और निवेश संभावनाओं की जानकारी दी गई। कंपनी ने बताया कि इन परियोजनाओं को डीएमआईसी, रीको औद्योगिक क्षेत्रों, एक्सप्रेसवे और सरकारी शहरीकरण योजनाओं के निकट होने के कारण लगातार निवेशकों का ध्यान मिल रहा है।

जयपुर-खाटू हाईवे पर रेनवाल के समीप स्थित नवभारत शिवानी वाटिका 11**th** आगामी कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा कालाडर, मांडा और रेनवाल रीको औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इस प्लॉटेड टाउनशिप में आंतरिक सड़कें, बिजली, पार्क, बाउंड्री वॉल और गेट जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। वहीं, फूलेरा स्थित नवभारत शिवानी रेजीडेंसी को सरकार के मास्टर प्लान 2031 के तहत एक निवेश-उन्मुख आवासीय हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों और हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी के कारण यह परियोजना उत्तरी भारत के निवेशकों को आकर्षित कर रही है। यह आवंटन समारोह हमारे लिए ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने और उनके भरोसे को और मजबूत करने का अवसर था। हमारा फोकस हमेशा पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और हर ग्राहक के लिए सुरक्षित निवेश अवसर उपलब्ध कराने पर रहा है। उन्होंने आगे कहा, हम राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित ग्रोथ कॉरिडोर्स में निवेशकों की बढ़ती रुचि देख रहे हैं। हमारी परियोजनाओं के माध्यम से हम केवल संपत्ति नहीं, बल्कि ग्राहकों को दीर्घकालिक मूल्य और मानसिक संतोष प्रदान करना चाहते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपनी बढ़ती उपस्थिति के साथ आने वाले समय में उत्तर भारत के उभरते विकास क्षेत्रों में टाउनशिप, प्लॉटेड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित रियल एस्टेट परियोजनाओं के जरिए अपने विस्तार की योजना बना रही है।

नवभारत निवास प्राइवेट लिमिटेड के बारे में

एक तेजी से उभरती रियल एस्टेट कंपनी है, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्लॉटेड टाउनशिप, विला और रिसॉर्ट डेवलपमेंट परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। कंपनी अपने ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता-आधारित कार्यशैली के लिए जानी जाती है। 3,000 से अधिक सक्रिय ग्राहकों और कई सफल परियोजनाओं की डिलीवरी के साथ कंपनी भारत के उभरते रियल एस्टेट बाजारों में लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है।

चेक बाउंस होने पर आरोपी को एक साल की सजा

अब चुकानी होगी दोगुनी रकम, एनआई एक्ट मामलों की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

जयपुर, 24 मई (का.सं.)। जयपुर महानगर द्वितीय की चेक बाउंस (एनआई एक्ट) मामलों की स्पेशल कोर्ट ने चेक बाउंस के करीब 19 साल पुराने मामले में जयपुर निवासी युवक को एक साल की सजा सुनाई है।

एनआई एक्ट कोर्ट-5 के जज तेज किरण कौर चावला ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह के मामलों में अगर नरमी बरती जाती है तो ऐसे मामलों में तेज गति से बढ़ोतरी होगी। लिहाजा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दंडित किया जाना जरूरी हैं। कोर्ट ने आरोपी को एक साल की सजा के साथ-साथ जितनी राशि उधार ली थी, उसकी दोगुनी राशि परिवादी को अदा करने के भी आदेश दिए। वहीं राशि अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला भी सुनाया।

साल 2007 में दिया था 2 लाख का चेक

परिवादी के वकील संदीप सिखवाल ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने अपनी निजी आवश्यकताओं और कर्ज चुकाने के लिए परिवादी से 2 लाख रुपए उधार लेकर भुगतान के पेटे 8 जनवरी, 2007 को चेक दिया था। लेकिन वो चेक 1 मार्च 2007 को बाउंस हो गया।

जिसके बाद परिवादी ने आरोपी को लीगल नोटिस भेजकर राशि अदा करने के लिए कहा। लेकिन आरोपी ने उधार ली गई राशि का भुगतान नहीं किया। जो एनआई एक्ट के तहत दंडनीय अपराध हैं। उन्होने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त ने धोखाधड़ी की है, उसने सोच-समझकर अपराध कारित किया है। परिवादी की ओर से कोर्ट में 33 डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए।

pnb Housing Finance Limited

पंजी. ऑफ: 9 वी मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414
वेबसाईट: www.pnbhousing.com. शाखा कार्यालय पत्ता : पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 3, ग्राउंड फ्लोर, आईसीआईसीआई बैंक के पास, प्रेम मंदिर सिनेमा, गोदाम के तलाई, झालावाड़-326001, राजस्थान.

कब्जे संबंधी सूचना (नियम 8 (1) एवं परिशिष्ट-IV के अनुसार अचल संपत्ति के लिए)

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकर और पुनर्निर्माण के तहत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के नियम 8(1) के अनुपालन में, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तारीख को मांग नोटिस जारी करते है, जिसमें संबंधित उधारकर्ता/ओं नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखित राशि चुकाने के लिए कहा जाता है। उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखित तारीखों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथे नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूपसे उधारकर्ता/ओं और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जातीहै कि वे संपत्ति/संपत्तियों के साथे कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति/ संपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन ऋण समझौते के अनुसार राशि और उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपतियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की और आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्या(ओं)	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/कानूनीवारिस का नाम	मांग नोटिस की तिथि	मांग सूचना में आज की तिथि तक राशि	कब्जा लेने की तिथि/कब्जे का प्रकार	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
एनएचएल/आरजेएलडब्ल्यू/0325 / 5179882 बी.ओ. झालावाड़	श्रीमान/सुश्री भावना कंवर (कानूनी वारिस)/ (सह-उधारकर्ता)	29.01. 2026	रु. 20,52,225.00 (रुपये बीस लाख बावन हजार दो सौ पच्चीस मात्र)	21.05.2026 (सांकेतिक)	आवासीय का वह सारा भाग और पार्सल, प्लॉट नंबर 20-सी, खसरा नंबर 827, राजलक्ष्मी नगर, तहसील झालरापाटन, झालावाड़, झालावाड़, जिला झालावाड़, राजस्थान, भारत, 326001.

दिनांक : 25.05.2026 | स्थान : राजस्थान **एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

कोटा शाखाः पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 165, श्रीनाथपुरम, सेक्टर-ए, कोटा-324010, राजस्थान, चित्तौड़गढ़ शाखाः 7ए, कोलेट और भीलवाड़ा रोड, चित्तौड़गढ़-312001, राजस्थान में स्थित है।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(कों) एवं गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित ऋणदाता को बंधक रखी गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा (जैसा कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार **''जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है के आधार पर''** बेचा जाएगा। एतद्वारा, संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती(ओं) को सूचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के संशोधित नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियाँ का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (10% का आरपी) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मानसिक दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	एनोउन एनकम ब्रैंस कोर्ट केस, यदि कोई हो (के)
एचओयू/आरकेओटी/0324/1231203 बी.ओ. : रोशनी_कोटा, मनोज कुमार, पायल बागवान	रूपये 776886.74 दिनांक 15-04-2025	भौतिक कब्जा	पट्टा संख्या 5859, खसरा संख्या 221, ग्राम फ़तेहपुर ग्राम ग्राम पंचायत बुधखान, पंचायत समिति खेराबाद, कोटा, राजस्थान - 326520 में स्थित संपत्ति।	रु. 1041000	रु. 104100	25-06-2026	रु. 10,000.	10-06-2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	26.06.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.00 बजे	Not Known
एनएचएल/आरकेओटी/0824 / 5056325 बी.ओ.: रोशनी_कोटा, महेंद्र सिंह ,नंदकवर हाड़ा	रूपये 1039445.82 दिनांक 14-05-2025	भौतिक कब्जा	संपत्ति पट्टा संख्या 423, कुन्हाड़ी, तहसील - लाडपुरा, वार्ड नंबर 02, कुन्हाड़ी, राजस्थान-324005 पर स्थित है	रु. 1346000	रु. 134600	25-06-2026	रु. 10,000.	10-06-2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	26.06.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.00 बजे	Not Known
एचओयू/आरसीएचआई/0923/1162896 बी.ओ.: रोशनी_चित्तौड़गढ़ शिवा बाई, जगदीश नाथ योगी	रूपये 3021363.83 दिनांक 14-05-2025	भौतिक कब्जा	प्लॉट नंबर 52, सुरभि नगर, पुठोली, चित्तौड़गढ़, राजस्थान-323927	रु. 2864000	रु. 286400	25-06-2026	रु. 10,000.	10-06-2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	26.06.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.00 बजे	Not Known

*18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं। 1. आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। 3. कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। (4.) **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - **www.bankeauctions.com** संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको कालू राम, अनमोल मक्कर, टोल फ्री नंबर -1800120 8800, ई-मेल: **auction@pnbhousing.com** के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या **www.pnbhousing.com** देखें।

स्थान:-राजस्थान, दिनांक:- 24.05.2026 एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

जयपुर में 2200 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर

जयपुर, 24 मई (का.सं.)। जयपुर में करीब 2200 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर हाउसिंग बोर्ड कार्रवाई कर रहा है। बीटू बाइपास और द्रव्यवती नदी के बीच स्थित 42 बीघा जमीन को खाली कराने के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की बड़ी कार्रवाई दूसरे दिन रविवार को भी जारी रही। यहां 2 दर्जन से ज्यादा निर्माणों को तोड़ा गया। वहीं एक दिन पहले की कार्रवाई के निर्माणों को हटाकर जमीन समतल की गई। कार्रवाई के दौरान 16 जेसीबी मशीनें लगाई गई। यहां शनिवार को भी कार्रवाई की गई थी।

हाउसिंग बोर्ड की टीम भारी पुलिस जाब्ते और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कई बाउंड्री वॉल, कच्चे-पक्के मकान और शोरूम तोड़े गए। हाउसिंग बोर्ड ने श्रीराम कॉलोनी इलाके में कार्रवाई की। यहां लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे होने का आरोप हैं। बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक- भूमाफियाओं ने इस जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाकर भूखंड बेच दिए थे। इनमें कई रसूखदार लोगों को भी कौड़ियों के दाम पर प्लॉट बेचे गए। कोर्ट के आदेश के बाद हाउसिंग बोर्ड ने अब दोबारा कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई के दौरान 16 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह का विरोध या कानून व्यवस्था की स्थिति न बने। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी मौके पर निगरानी कर रहे हैं। बोर्ड प्रशासन ने खाली करवाई जमीन पर अपने कब्जे के साइन बोर्ड लगाए हैं।

विरोध पर पहले रोक दी थी कार्रवाई

दरअसल, इससे पहले 16 अप्रैल को भी हाउसिंग बोर्ड ने यहां कब्जा लेने की कोशिश की थी, लेकिन स्थानीय विरोध और ऊपरी स्तर पर दखल के चलते कार्रवाई बीच में रोकनी पड़ी थी। इसके बाद कॉलोनी के कुछ लोग राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए थे, जहां पहले स्टे मिल गया था। हालांकि हाल ही हाईकोर्ट ने दोबारा सुनवाई के दौरान स्टे खारिज करते हुए हाउसिंग बोर्ड को जमीन पर कब्जा लेने की अनुमति दे दी। कोर्ट के आदेश के बाद बोर्ड प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है।

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेल: yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08